पत्रांक–सं०सं०–02/उ०नि०/CMCDP-प्रक्रिया–24–02/2016.........

बिहार सरकार
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

प्रेषकः– **पंकज कुमार सिंह,**
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र................

पटना, दिनांक ....

विषयः– मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत एग्रीमेंट के प्रारूप के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत राज्य सरकार की ओर से संबंधिक महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं क्लस्टर के एस०पी०भी० के सचिव के मध्य एग्रीमेंट किया जाना है। एग्रीमेंट की सरकार से अनुमोदित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया एस०पी०भी० के साथ एग्रीमेंट कराकर मूलप्रति यथाशीघ्र उद्योग निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

अनु०–उपरोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1628 / दिनांक 1.6.17

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

31/5

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।
31.5.17

Vishwanath sec-02

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना अंतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु बिहार सरकार एवं संबंधित क्लस्टर के SPV के मध्य द्विपक्षीय एग्रीमेंट।

यह एग्रीमेंट दिनांक–........./......./2017 को निम्न के मध्य निष्पादित किया जाता है:–

(1) बिहार के राज्यपाल की ओर से महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, ... (तदोपरान्त बिहार सरकार के रूप में संदर्भित)– **प्रथम पक्ष**

एवं

सचिव, सर्वश्री .... (तदोपरान्त एस0 पी0 भी0 के रूप में संदर्भित)– **द्वितीय पक्ष**

(2) जैसा कि बिहार सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम और उसके समूह के कार्यकलाप, उनके उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार तथा विपणन को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

(3) और जैसा कि एस0 पी0 भी0 के सदस्यों और इस प्रकार के उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में संलग्न तथा आने वाले उद्योगों के उपयोग एवं लाभ प्राप्त करने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, परिचालन और संधारण के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रावधानों के अंतर्गत स्वयं सहायता सहकारी समिति/ संस्था के रूप में सर्वश्री ....(तदोपरान्त क्लस्टर के रूप में संदर्भित) का गठन एवं निबंधन किया जा चुका है।

(4) और जैसा कि संबंधित उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) पर एस0 पी0 भी0 द्वारा अपनी सहमति दी गयी है।

(5) और जैसा कि एस0पी0भी0 द्वारा अनुमोदित डी0पी0आर0 के आलोक में बिहार सरकार के द्वारा स्वीकृत्यादेश सं0 .... दिनांक– .... में निहित शर्त्तों एवं वर्णित प्रावधानों के साथ जो स्वीकृति प्रदान की गयी है, वह इस एग्रीमेंट का एक हिस्सा होगा और बिहार सरकार द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु होने वाले व्यय का वहन करने पर भी सहमति दी गयी है।

(6) और जैसा कि क्लस्टर के उद्यमियों द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्र का लंबी अवधि तक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पक्षकार परस्पर दायित्व के निर्वहन के लिए इस एग्रीमेंट को करने के लिए इच्छुक हैं।

अतः यह एग्रीमेंट निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1. बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना अंतर्गत प्रावधान के अनुसार सरकारी अंशदान एवं एस0 पी0 भी0 के अंशदान से एस0पी0भी0 द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

क्रमशः पृष्ठ–2

2. सामान्य सुविधा केन्द्र के सुगम संचालन एवं उचित रखरखाव हेतु एस0पी0भी0 आवश्यक राशि की व्यवस्था अपने संसाधन से करेगी।

3. एस0पी0भी0 वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कार्यशील पूंजी एवं कच्चे माल की उपलब्धता अपने स्तर से करेगी। एस0पी0भी0 अपने संसाधन से कच्चा माल बैंक की स्थापना भी कर सकती है।

4. एस0पी0भी0 द्वारा अपना बैंक खाता का संतोषजनक प्रमाण उपलब्ध कराने पर बिहार सरकार स्वीकृत्यादेश में उल्लेखित समय पर विहित रीति से सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना लागत के विरूद्ध अपना अंशदान देगी।

5 सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना का कार्य स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के 2 वर्ष के अन्दर एस0पी0भी0 द्वारा पूर्ण करना होगा, जिसके लिए स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो के अनुसार आवश्यक निधि उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा तथा एस0 पी0 भी0 द्वारा अपना अंशदान उपलब्ध कराया जाएगा।

7. सामान्य सुविधा केन्द्र के दैनिक संचालन हेतु एस0पी0भी0 पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। सामान्य सुविधा केन्द्र के संचालन का उद्देश्य क्लस्टर के सभी उद्यमियों को सस्ते दर पर सामान्य सेवा उपलब्ध कराना एवं इसके परिचालन पर होने वाले आवर्त्ती व्यय, पूंजीगत आस्तियों के अवमूल्यन (डिप्रेसिएशन) एवं बदलाव/विस्तार के लिए के लिए पर्याप्त आय का सृजन करना होगा। तथापि आय के परिप्रेक्ष्य में खर्च की अधिकता अथवा बचत की राशि एस0पी0भी0 के द्वारा वहन किया जाएगा/ रखा जाएगा।

8. बिहार सरकार द्वारा अपने अंशदान का भुगतान सिर्फ एस0पी0भी0 के बैंक खाता में ही किया जाएगा और एस0 पी0 भी0 के अंशदान की राशि भी उसी बैंक खाते में जमा की जाएगी।

9. बिहार सरकार के दिए गए अनुदान का उपयोग लंबित रहने की स्थिति में उक्त राशि इस उद्देश्य के लिए खोले गए बैंक खाता में रखा जाएगा। मूल धन और अव्यवहृत राशि पर अर्जित होने वाला ब्याज सुरक्षित रखा जाएगा तथा राज्य सरकार की सहमति से सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए खर्च किया जा सकेगा।

10. एस0पी0भी0 ऐसी सभी राशि, जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं हो, को किसी अनुसूचित बैंक में ब्याज सहित जमा के रूप में रखेगी।

11. विमुक्त की गई राशि के समुचित उपयोग के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट होने के लिए सरकारी राशि से क्रय किए गए परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए या अन्य जाँच प्रारंभ करने का अधिकार बिहार सरकार के पास सुरक्षित होगा।

12. एस0पी0भी0 द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विधिमान्य ऑडिटर द्वारा सत्यापित उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित महाप्रबंधक के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

13. बिहार सरकार इस प्रोजेक्ट के प्रगति का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने में सहायक के रूप में कार्य करेगी। महाप्रबंधक, संबंधित जिला उद्योग केन्द्र सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना/ संचालन के संबंध में वस्तुस्थिति से उद्योग निदेशक के माध्यम से बिहार सरकार को अवगत कराएँगे।

क्रमशः पृष्ठ-3

14. बिहार सरकार के अनुदान की राशि अथवा अन्य सहायता से सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए क्रय किए गए सभी संयत्र, मशीनरी एवं उपकरणों इत्यादि पर राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व होगा, तथापि वे एस0पी0भी0 के उपयोग एवं अभिरक्षा में रहेंगे।

15. एस0पी0भी0 अपने खर्च पर सामान्य सुविधा केन्द्र के सभी संयत्र, मशीनरी एवं उपकरणों को न्यूनतम 5 वर्षो के लिए बीमा कराएगी। उक्त संयत्र, मशीनरी एवं उपकरणों का किसी प्रकार की हानि या क्षति होने की स्थिति में बीमित राशि का भुगतान बिहार सरकार को किया जाएगा।

16. एस0पी0भी0 स्वीकृत्यादेश में निहित सभी शर्तो एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

17. एस0पी0भी0 का प्रबंधन एवं सामान्य सुविधा केन्द्र का संचालन बिहार सरकार के निदेश के आलोक में किया जाएगा, जो इस एग्रीमेंट का एक भाग होगा।

18. एस0पी0भी0 अथवा इसके किसी परिसम्पत्ति के विरूद्ध परिसमापन या दिवालियापन की कार्यवाही की स्थिति में या एस0पी0भी0 या इसके किसी परिसम्पत्ति के विरूद्ध नीलामी की कार्यवाही की संभावना उत्पन्न होने पर बिहार सरकार के अनुदान से सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए क्रय किए गए सभी संयत्र, मशीनरी एवं अन्य उपकरण ऐसी कार्रवाई की परिधि के बाहर रहेंगे तथा बिहार सरकार द्वारा एस0पी0भी0 को उपलब्ध कराए गए आस्तियों का अधिग्रहण कर सकेगी। एस0पी0भी0 द्वारा अर्जित किसी भी देनदारी की जिम्मेवारी बिहार सरकार की नहीं होगी। बिहार सरकार एस0 पी0 भी0 की किसी भी देनदारी का वहन नहीं करेगी। एस0पी0भी0 के सदस्य ऐसी सभी देनदारी के निपटान के लिए उत्तरदायी होंगे।

19. एस0पी0भी0 के किसी सदस्य या इनके अंतर्गत काम करने वाले किसी भी कारीगर या कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं माने जाएँगे और वे भविष्य में सरकारी नौकरी हेतु कोई भी दावा नहीं करेंगे। उनके विरूद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की दाण्डिक कार्यवाही किए जाने की स्थिति में बिहार सरकार किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी। बिहार सरकार उनके किसी भी देनदारी का वहन नहीं करेगी।

20. एस0पी0भी0 प्रतिनिधित्व करती है और प्राधिकृत करते हैंः-

(A) कि यह प्रयुक्त विधि के अंतर्गत विधिवत गठित है एवं इस प्रकार के एग्रीमेंट करने के लिए पूर्णतः अधिकृत है।

(B) कि इस एग्रीमेंट के सभी प्रावधान उनपर बाध्यकारी हैं।

(C) कि यह सुदृढ प्रबंधकीय एवं व्यवसायिक सिद्धान्तों के अंतर्गत परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य से कार्य करेगी तथा सामान्य सुविधा केन्द्र के सुगम संचालन को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाला प्रबंधकीय परिवर्त्तन नहीं करेगी।

(D) कि सामान्य सुविधा केन्द्र में स्थापित होने वाले सभी प्लांट एवं संयत्र

क्रमशः पृष्ठ-4

माँग एवं सहमति के आधार पर स्थापित किए जा रहे हैं, अतः ये सभी संयत्र, मशीनरी एवं उपकरणों को अच्छे हालत में कार्यशील स्थिति में बनाए रखेंगे एवं इसके लिए आवश्यक सुरक्षात्मक एवं सुधारात्मक संधारण तथा उन्नत बनाए रखेंगे और इसके बीमा को नियमित रखेंगे।

(E) कि बिहार सरकार के अनुदान से या सहयोग से क्रय किए गए सभी संयत्र, मशीनरी एवं उपकरणें बिहार सरकार की परिसम्पति हैं एवं एस०पी०भी० द्वारा उक्त भवन, संयत्र, मशीनरी एवं उपकरणों अथवा इसके किसी भाग को किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी भी तरह से या सम्व्यवहार में बिक्री, लीज, बंधक नहीं रखा जाएगा अथवा किसी तरह की देनदारी अर्जित नहीं की जायेगी।

(F) एस०पी०भी० के बेहतर प्रबंधन अथवा सामान्य सुविधा केन्द्र के बेहतर संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का एस०पी०भी० द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

(G) एस०पी०भी० अवगत है कि सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु पूँजीगत व्यय के विरूद्ध केवल एक बार ही अनुदान देय है एवं सामान्य सुविधा केन्द्र में पूँजीगत परिसम्पति के बदलाव, जीर्णोद्वार एवं विस्तार पर होने वाले आवर्ती व्यय पर कोई अनुदान/ सब्सिडी/ सहायता देय नहीं होगी।

(H) एस०पी०भी० द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु अनुदान की राशि या इसके किसी भाग का उपयोग नहीं करने पर, अनुदान की राशि से सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए अर्जित किसी भी परिसम्पति की बिक्री अथवा किसी प्रकार से निस्तार करने की स्थिति में बिहार सरकार बिना किसी पूर्वाग्रह के एस०पी०भी० और/ या इसके सदस्यों से संयुक्त रूप से व्यक्तिगत रूप से क्षति की राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाए की वसूली की तरह करने के लिए अधिकृत होगी।

21. एग्रीमेंट के संबंध में या संदर्भ में किसी विवाद अथवा अंतर्विरोध उत्पन्न होने और उत्तरवर्त्ती कंडिकाओं में अन्यथा प्रावधानित होने की स्थिति में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा नामित एकल मध्यस्थ (Sole Arbitrator) के द्वारा निपटार किया जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही में आर्बिट्रिशन एण्ड कौन्सिलिएशन एक्ट, 1996 में निहित प्रावधान लागू होंगे। सभी मामलों में पटना स्थित न्यायालय का पूर्ण क्षेत्राधिकार होगा।

22. एस०पी०भी० द्वारा बिहार सरकार के दिशा-निर्देश या स्वीकृत्यादेश में निहित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने अथवा शर्त्तों का उल्लंधन करने की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा इस हेतु सूचना दिए जाने के 15 दिनों के अन्दर उसका निराकरण नहीं किए जाने पर बिहार सरकार ऐसे समयावधि, जैसा उचित समझे, सामान्य सुविधा केन्द्र के सम्यक् संचालन हेतु एस०पी०भी० का प्रबंधन किसी अन्य एस०पी०भी० को हस्तांतरित कर सकती है। इस संबंध में बिहार सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी परिस्थिति में एस०पी०भी० द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्र में या इसके प्रबंधन में किए गये किसी भी निवेश पर एस०पी०भी० का कोई दावा नहीं होगा।

क्रमशः पृष्ठ-5

23. इस एग्रीमेंट के किसी प्रावधान के अवैध अथवा अप्रभावी होने वाले कोई प्रावधान इसके अन्य प्रावधानों की वैधता एवं इसके प्रभावी होने में बाधक नहीं होंगे एवं पूर्णतः प्रभावी रहेगा।

24. बिहार सरकार द्वारा एस0पी0भी0 के असंतोषजनक कार्याकलाप के संबंध में दावा करने या एस0 पी0 भी0 के विरूद्ध कार्रवाई करने या समय देने या अन्य माफी देने में विफलता अथवा विलंब इस करार के किसी प्रावधान से न तो विमुक्ति, न ही किसी अवसर पर किसी प्रकार की विमुक्ति या अन्य अवसर के लिए भी विमुक्ति नहीं मानी जाएगी।

25. इस एग्रीमेंट में किसी प्रकार का संशोधन तबतक मान्य नहीं होगा जबतक दोनों पक्षों द्वारा लिखित में एवं हस्ताक्षरित होकर अभिव्यक्त न किया जाय।

26. यह एग्रीमेंट बिहार सरकार एवं एस0पी0भी0 के बीच हुआ कोई साझेधारी नहीं माना जायेगा एवं एस0पी0भी0 अथवा इसके किसी कर्मी, अभिकर्त्ता, संवेदक के कार्य, गलती, लापरवाही आदि अथवा सामान्य सुविधा केन्द्र के कार्यकलाप के प्रसंग में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की क्षति या दावा के लिए बिहार सरकार जिम्मेवार नहीं होगा।

(..................................)
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, ...।
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
बिहार सरकार के प्रतिनिधि

(..)
सचिव,
(सर्वश्री .... (एस0 पी0 भी0 का नाम)
स्पेशल परपस भेहिकल के प्रतिनिधि

साक्षीगण (एस0 पी0 भी0 के सभी सदस्य)

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	